न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 116/2016 (उदयपुर डिक्री)

गोवर्धनलाल पिता मोती जी भील, निवासी बलीचा, चौधरी पेट्रोल पम्प के पास, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. बद्रीलाल पिता खातु जी मीणा, निवासी घोड़ी, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
2. शंकर पिता हकरा जी मीणा, निवासी मकान नंबर 193, हिरण मगरी, सेक्टर नंबर 11, उदयपुर (राज.)
3. लालू पिता मोती जी भील, निवासी बलीचा, चौधरी पेट्रोल पम्प के पास, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 12.03.2014 प्र.सं. 187/11

———/———

उपस्थित(वक्तबहस)1. श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाशक अपीलान्ट
2. श्री हर्षद जोशी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 1
3. श्री शान्तिलाल पामेचा अभिभाषक र. सं. 3
4. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभि.रे.सं. 4

———:::———

निर्णय दिनांक

18–03–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी नंबर 887 से 898 कुल किता 12 रकबा 0.8100 हैक्टर भूमि ग्राम गोवर्धन विलास में स्थित ह, जिसमें वादी का 1/4 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का भी 1/4, 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा निहित है। वादी उक्त भूमि का विभाजन करवाना चाहता है। अतएवं उक्त भूमियों का उपरोक्तानुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करवाया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण तनकियात कायम नहीं की गयी एवं वादी अधिवक्ता की बहस सुनकर दिनांक 12–03–2014 को वादी का वाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री किया गया तथा मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा किये जाने हेतु तहसीलदार गिर्वा को कमिश्नर नियुक्त किया।

उक्त निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री से रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 17–10–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 03–10–2016 को तब हुई जब पटवारी हल्का ने बंटवाड़ा करने हेतु कहा। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन पर पत्रावली का मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रारम्भिक डिक्री अपीलान्ट की अनुपस्थिति में जारी की है, जिसकी अपीलान्ट को जानकारी होने की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतएवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री हर्षद जोशी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से वकील श्री शान्तिलाल पामेचा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी साक्ष्य के कथित निर्णय पारित किया है तथा अपीलान्ट को विधिवत सूचना दिये बिना व जवाब का अवसर दिये बिना व अपीलान्ट की अनुपस्थित में उक्त निर्णय पारित किया गया है। अतएवं अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने रेकार्ड अनुसार के निर्णय पारित किा है। अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि उक्त निणय व प्रारम्भिक डिक्री अपीलान्ट को बिना सुने एवं उसका बिना जवाबदावा लिये जारी की गयी है, जो तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12–03–2014 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि अपीलान्ट/प्रतिवादी को जवाबदावा प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देकर एवं उन्हें सुनकर विधिवत निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 13–05–2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 18–03–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

सुरेन्द्रसिंह पिता प्रेमसिंह राठौड़, नि0 बेमला, तह0 गिर्वा हाल मकान नं.37 नाकोड़ा नगर 11, धाऊजी की बाड़ी व अन्य बेड़वास, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर

बनाम

दलपतसिंह पिता मनोहरसिंह देवड़ा निवासी सिंगावतों का वाडा, देबारी तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर

अपील नं॰.....47 / 2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... .....गिर्वा..... मुकाम.....मुवर्खे.....18.....माह.....07..... 2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....13....माह.....03.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान

व हाजरी..श्री ओंकारलाल डांगी..मिनजानिब अपीलान्ट व..श्री महेन्द्र मेनारिया/राजमल राव

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–07–2016 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....13.....माह.....03... .....2019 को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।